जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार

मनरेगा योजना अन्तर्गत सामग्री अधिप्राप्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता चयन हेतु सूचना।

Expression of Interest (अभिरूचि की अभिव्यक्ति)

आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 232, दिनांक 04.02.2020 के आलोक में कटिहार जिला के लिए बिहार वित्त नियमावली 2005 एवं यथासंशोधित प्रावधानों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021—22 अन्तर्गत मनरेगा योजना में प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा ब्रीक्स, सिमेंट, स्टोन चीप, पौधा, गेवियन, आदि सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठानों से शर्तों के अधीन Expression of Interest (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित की गयी थी। जिसके तहत कुल 127 आपूर्तिकत्ताओं द्वारा आवेदन जमा किये गये थे जिसमें चयनित आपूर्तिकत्ताओं की सूची प्रपत्र "क" के रूप में प्रदर्शित है, जिन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड—19 काल में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद कई इच्छुक आपूर्तिकत्ताओं द्वारा निर्धारित तिथि तक कतिपय कारणों से आवेदन जमा नहीं किया जा सका, वैसे 80 आवेदन जिला को प्राप्त हुए है, (सूची संलग्न प्रपत्र —"ख") जिन्हें पुनः शर्तो के अधीन आवेदन अनुलग्नक सहित देना है। प्रपत्र "क" मे प्रदर्शित 127 आवेदको को छोड़ कर सभी आवेदन कर्त्ता एवं अन्य इच्छुक सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं हेतु शर्तों के अधीन Expression of Interest (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित की जाती है— शर्ते NIC Katihar पर उपलब्ध है।

01. कागजात जमा करने की तिथि एवं समय :— 15.01.2022 के अपराहन तीन बजे तक।
02. कागजात जमा करने का स्थान :— जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार।
03. कागजात सवीक्षा की तिथि :— 17.01.2022 के अपराह्न 3.00 बजे।
04. संवीक्षा का स्थल :— उप विकास आयुक्त, कटिहार के कार्यालय प्रकोष्ठ में।

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।